

**उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0
नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग/बी0एस0सी0-पैरामेडिकल
पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आन-लाइन काउंसिलिंग-2023 के लिए नियम, शर्तें एवं
महत्वपूर्ण निर्देश**

1- समस्त नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कालेज का आवंटन उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षाएँ-2023 के परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रमवार **आन-लाइन काउंसिलिंग** के माध्यम से किया जाएगा।

2- ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं बी0एस0सी0 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की राज्य कोटे की सीटों में राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश हेतु संबंधित अभ्यर्थी **केवल उन्हीं** पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन कर सकेगा, जिस पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों विशेष की राज्य स्तरीय लिखित प्रवेश परीक्षा में वह सम्मिलित/उत्तीर्ण हुआ हो।

3- **आनलाइन काउन्सिलिंग हेतु नियम व शर्तें निम्नवत हैं:-**

1. उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0/बी0एस0सी0 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की काउन्सिलिंग प्रक्रिया **online** माध्यम से सम्पन्न कराई जायेगी।
2. काउन्सिलिंग की प्रक्रिया, तिथियाँ, समय एवं काउन्सिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से की जायेंगी, इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजा जाएगा।
3. भविष्य में भी काउन्सिलिंग सम्बन्धी अद्यतन सूचनाएँ/अपडेट समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी। **अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।**
4. मात्र उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग/बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी को नर्सिंग/पैरामेडिकल कॉलेजों की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में उसकी मेरिट, चुने गये संस्थान के विकल्प, उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग/बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2023 की सूचना विवरणिकाओं में प्रकाशित अर्हताओं, आरक्षण के नियमों इत्यादि के काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्योनीत प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।
5. उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/एन0पी0सी0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0/बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों जिनके द्वारा नियमानुसार काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण करवाया गया हो, को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग के माध्यम से संबंधित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में उनकी अर्हता, मेरिट, उनके द्वारा चुने गये विकल्प (choice) एवं उस समय उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों के आधार पर नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
6. उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश

परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिये संबंधित काउन्सिलिंग चरण हेतु निर्धारित समयवधि के अन्दर निम्न विवरणानुसार Online काउन्सिलिंग शुल्क **Online** माध्यम से **पंजीकरण शुल्क** के रूप में जमा करना **अनिवार्य** होगी:-

पाठ्यक्रम	काउन्सिलिंग शुल्क
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम हेतु	रूपया 1000/-
जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम हेतु	रूपया 1000/-
बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु	रूपया 1500/-
एम0एस0सी0/एन0पी0सी0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु	रूपया 1500/-
पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु	रूपया 1500/-
बी0एस0सी0 पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु	रूपया 1500/-

- अभ्यर्थी द्वारा जिन-जिन पाठ्यक्रमों हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा दी गयी है, उन्ही पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी को संबंधित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों विशेष में उपरोक्तानुसार निर्धारित काउन्सिलिंग पंजीकरण धनराशि (प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु पृथक-पृथक पंजीकरण) जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रमवार काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार पंजीकृत अभ्यर्थी ही संबंधित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह माने जायेंगे।
- पंजीकरण शुल्क **Non-Refundable** होगा। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे काउन्सिलिंग हेतु अपना पंजीकरण कराने से पूर्व सूचना विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी अर्हता को सुनिश्चित कर लें। **एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।**
- पंजीकरण शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी को ऑन-लाईन आवेदन करते समय समस्त वाछित सूचनायें भरनी होगी तथा वाछित अभिलेखों की स्कैन पी0डी0एफ कॉपी अपलोड करते हुये अपनी प्राथमिकता के क्रम में (In order of Prefrence) संस्थानवार सीट च्वाइस लॉक करनी अनिवार्य होगी। इसके उपरान्त अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
- काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा एक बार सीट आवंटित होने के उपरान्त, आवंटित सीट को उस काउन्सिलिंग चरण विशेष में बदला नहीं जाएगा।
- अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग चरणवार/कालेजवार उपलब्ध सीटों की संख्या, संबंधित कालेज का शिक्षण शुल्क एवं अन्य विवरण भली-भांति देखकर ही अपनी च्वाइस लॉक करें। यदि किसी संस्थान/पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी इच्छुक न हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उस संस्थान/पाठ्यक्रम विशेष का विकल्प चयन न करें। अभ्यर्थी द्वारा संस्थान/पाठ्यक्रम के चयन के संबंध में हुयी किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- कालेज विवरण (Contact details) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पृथक लिंक पर अपलोड किये गये है। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि कालेज का विकल्प चयन करने से पूर्व कालेज द्वारा लिये जाने वाले शुल्क (शिक्षण एवं अन्य शुल्क) इत्यादि प्रवेश प्रक्रिया के बारे में समस्त जानकारी कालेज स्तर से प्राप्त कर लें।
- अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में आवंटित हुई सीट पर प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर सम्बन्धित संस्थान में समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उस आवंटित सीट विशेष को रिक्त मानते हुये आगामी काउन्सिलिंग चरण में पुनः सम्मिलित किया जायेगा। यद्यपि यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में बोर्ड द्वारा उसको आवंटित हुयी सीट पर निर्धारित समयवधि अन्तर्गत प्रवेश नहीं लेता है तो उसे द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमति होगी, **परन्तु इस हेतु उसे**

पुनः निर्धारित पंजीकरण शुल्क धनराशि आन-लाइन माध्यम से जमा करवा कर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

14. यदि किसी अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में सीट आवंटित होती है और उसके द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत संबंधित आवंटित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है, तो उसे द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन हेतु सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमति होगी, इस हेतु अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त पंजीकरण धनराशि जमा नहीं करनी होगी।
15. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो तथा वे द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में सीट आवंटन की कार्यवाही में नियमानुसार सम्मिलित होकर उक्त आवंटित संस्थान को बदलना (अपग्रेडेशन) चाहते हो, तो उन्हें इसकी अनुमति होगी। परन्तु उक्त सीट आवंटन की कार्यवाही केवल अभ्यर्थी की उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2023 की मेरिट एवं द्वितीय चरण में उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही की जाएगी।
16. एक बार पूर्व आवंटित सीट को परिवर्तित (अपग्रेडेशन) कर यदि अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा दूसरे संस्थान की सीट आवंटित कर दी जाती है तो उसका पूर्व में आवंटित सीट पर अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा तथा उस रिक्त सीट को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा मेरिट के क्रम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को आवंटित कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीट परिवर्तन (अपग्रेडेशन) का विकल्प चयन करने से पूर्व ध्यानपूर्वक विचार कर लें।
17. यदि किसी अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में सीट आवंटित होती है और उसके द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत संबंधित आवंटित संस्थान में प्रवेश **नहीं** लिया जाता है, तो उसे द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमति होगी, **परन्तु इस हेतु उसे पुनः निर्धारित पंजीकरण शुल्क धनराशि आन-लाइन माध्यम से जमा करवा कर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।**
18. यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में उपरोक्त बिन्दु में उल्लिखित विवरणानुसार शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करवा चुका है और वह द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में भी सम्मिलित होना चाहता है, तो उसे इस हेतु अलग से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं जमा कराना होगा।
19. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं किया गया है, तथा वह द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में सम्मिलित होना चाहता है तो वह द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकरण शुल्क जमा करवा कर सम्मिलित हो सकता है, किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को सीट आवंटन द्वितीय काउन्सिलिंग चरण विशेष में उपलब्ध सीटों एवं उसकी मेरिट, अर्हता के आधार पर होगा।
20. उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं बी0एस0सी0 पैरामेडिकल काउन्सिलिंग-2023 के माध्यम से काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किये गये आवंटन एवं सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिये गये प्रवेश प्रथम दृष्टया अस्थाई होंगे तथा उन्हें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड/उत्तराखण्ड शासन के पास सुरक्षित होगा।
21. प्रवेश के समय संस्थान पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान किया जायेगा, अभ्यर्थी का कोई भी दावा असत्य पाये जाने पर सीट आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
22. सीट आवंटन हेतु मुख्यतः दो चरणों (प्रथम एवं द्वितीय चरण) में ही काउन्सिलिंग करायी जाएगी। इसके उपरान्त भी सीटें रिक्त रहने की दशा में यथा आवश्यकता **केवल** राजकीय नर्सिंग/पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों की उपलब्ध रिक्त सीटों हेतु तृतीय चरण की काउन्सिलिंग समय सारणी के अनुसार निर्धारित समयावधि में सम्पन्न कराई जायेगी।
23. प्रत्येक काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से नियमानुसार अपना ऑन-लाइन पंजीकरण करते हुये अपनी नवीन च्वाइस दर्ज (Lock) करानी

होगी। अन्यथा की दशा में वे संबंधित काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

24. आवंटित सीट पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन के उपरान्त समस्त वांछित मूल दस्तावेज/अभिलेख एवं ऑनलाईन माध्यम से डाउनलोड किये गये सीट आवंटन पत्र की प्रति सहित संबंधित आवंटित कालेज के प्राचार्य अथवा नामित प्रतिनिधि के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। अभिलेखों की छायाप्रति एवं अभ्यर्थी के स्थान पर किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति प्रवेश हेतु अनुमन्य नहीं होगी।

4. आरक्षण सम्बन्धी नियम

- 4.1 उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/ पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं बी0एस0सी0 पैरामेडिकल कॉउन्सिलिंग-2023 के माध्यम से उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रमों की राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं नियमों के अनुसार अनुमन्य होगा।
- 4.2 किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
- 4.3 ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02 (ओ0बी0सी0)/2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैधता (validity) को भली-भांति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- 4.4 उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/एन0पी0सी0सी0/ पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं बी0एस0सी0 पैरामेडिकल कॉउन्सिलिंग-2023 में उपरोक्तानुसार श्रेणी/उपश्रेणी के उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की दशा में रिक्त रहने पर अंतिम (तृतीय) चरण की काउंसिलिंग में नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरी जाएंगी।
- 4.5 राजकीय/ निजी क्षेत्र में स्थित नर्सिंग कालेजों की उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों में आरक्षित सीटों का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है।
- 4.6 शासनदेश संख्या 570/कार्मिक-2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (DPW) हेतु आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिकों के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- 4.7 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 तथा विधायी एवं संसदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक

- 07 मार्च 2019 पर निर्धारित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 4.8 विकलांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के सापेक्ष प्रवेश लेने हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित विशेष राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। उक्त विशेष राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड के स्थान एवं तिथि के संबंध में सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पृथक से अपलोड कि जायेगी। विकलांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के संबंध में उत्तराखण्ड नर्सिंग/पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2023 हेतु प्रकाशित सूचना विवरणिका में निर्धारित नियम व शर्तें यथावत लागू रहेगी। संबंधित श्रेणी के आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सूचना विवरणिका का भली-भाँति अध्ययन कर लें।
- 4.9 स्टेट नर्सिंग कॉलेज, देहरादून में पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम की प्रवेश हेतु स्वीकृत कुल 33 सीटों में से 11 सीटें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत नियमित नर्सिंग कर्मियों हेतु आरक्षित रहेगी। इस हेतु इन्हें सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसकी स्वसत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की दशा में वे इन आरक्षित सीटों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं माने जाएंगे।
- 4.10 स्टेट नर्सिंग कॉलेज, देहरादून में पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम की चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड के नियमित नर्सिंग कर्मियों हेतु आरक्षित 11 सीटों के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ धारित करना अनिवार्य होगा, परंतु इन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त अर्हता परीक्षाएँ उत्तराखण्ड राज्य में स्थित संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।
- 4.11 राजकीय विभागों में सेवारत नियमित कर्मियों के लिए किसी नर्सिंग पाठ्यक्रम विशेष में केवल आरक्षित नर्सिंग पाठ्यक्रम की सीटों के अतिरिक्त, अनारक्षित सीटों में प्रवेश लेने हेतु अर्हताएँ सामान्य अभ्यर्थियों के समान ही होंगी। परन्तु इस हेतु इन सेवारत कर्मियों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा, अन्यथा की दशा में उन्हें सीट आवंटन की कार्यवाही हेतु अर्ह नहीं माना जाएगा।

5. काउन्सिलिंग हेतु उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों एवं शुल्क विवरण:-

- छात्रों हेतु संस्थानवार पाठ्यक्रमवार काउन्सिलिंग हेतु उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों की मैट्रिक्स वेबसाइट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। इन प्रदर्शित की गयी सीटों की संख्या घट या बढ़ भी सकती हैं तथा नर्सिंग काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली/उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग/पैरामेडिकल काउन्सिल, देहरादून/उत्तराखण्ड शासन के कालेज विशेष के बारे में अधुनान्त निर्देशों पर भी निर्भर करेगी।
- छात्रों हेतु संस्थानवार पाठ्यक्रमवार काउन्सिलिंग हेतु उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों का शुल्क विवरण संबंधी आदेश विश्वविद्यालय के वेबसाइट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। कालेज विवरण (Contact details) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पृथक लिंक पर अपलोड किये गये हैं। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि कालेज का विकल्प चयन करने से पूर्व कालेज द्वारा लिये जाने वाले समस्त प्रकार के शुल्क (शिक्षण एवं अन्य शुल्क) इत्यादि प्रवेश प्रक्रिया के बारे में समस्त जानकारी कालेज स्तर से प्राप्त कर लें।
- मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन माध्यम से संबंधित काउन्सिलिंग चरणों में निर्धारित समय-सीमान्तर्गत ऑनलाईन काउन्सिलिंग पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए कॉलेजवार च्वाईस लॉक करनी अनिवार्य होगी।
- काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सीट आवंटन उसके द्वारा आन लाईन आवेदन प्रपत्र में भरी गयी सूचना/विवरण के आधार पर किया जायेगा। परन्तु अभ्यर्थी को आवंटित संस्थान में प्रवेश लेने के

समय संबंधित पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीट पर अपनी अर्हता के संबंधित समस्त अंक तालिकाये/प्रमाण पत्र/अभिलेख मूल रूप में संबंधित कालेज के प्राचार्य को उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगे। अन्यथा की दशा में उसको प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

- यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम की राज्य कोटों की सीट पर निर्धारित मानकानुसार अर्हता नहीं रखता है तो उसका प्रवेश संबंधित संस्थान द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- संस्थान द्वारा काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित छात्र-छात्रा से प्रवेश लिये जाने के समय समस्त वाछित आवश्यकीय मूल शैक्षणिक, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी-उपश्रेणी प्रमाण पत्रों से अभ्यर्थी की संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्हता का सत्यापन करने के पश्चात ही प्रवेश दिया जायेगा। संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा। अतः संबंधित संस्थान अभ्यर्थी को प्रवेश देने से पूर्व उसकी अर्हता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही प्रवेश दे। किसी अभ्यर्थी विशेष की अर्हता के सन्दर्भ में कोई अस्पष्टता या पृच्छा होने की दशा में संबंधित संस्थान के प्राचार्य, कुल सचिव हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय, देहरादून से दूरभाष पर सम्पर्क कर जानकारी/स्पष्टता/दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

6. प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी के नियम

- यदि कोई अभ्यर्थी काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किये जाने के उपरान्त आवंटित संस्थान में प्रवेशित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात सीट छोड़ता है (स्वयं की इच्छानुसार सीट छोड़ने एवं अथवा बोर्ड द्वारा आगामी काउन्सिलिंग चरण में संस्थान अपग्रेड (परिवर्तित) होने की दशा में) तो इस दशा में उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से अधिकतम धनराशि रू0 2000/- मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि सम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (यथा छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। परन्तु काउन्सिलिंग हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

सदस्य सचिव

उत्तराखण्ड एन0एन0एम0/जी0एन0एम0/नर्सिंग/पैरामेडिकल
काउन्सिलिंग बोर्ड 2023